आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–113/2019

अंजू देवी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षीगण

26.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर C.W.J.C No.–13626/2011 में दिनांक 26.08.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 26.08.2019 का मुख्य अंश निम्नलिखित हैः–

".....Learned counsel for the State submits that the matter is required to be determined upon seeking the stand of the Education Department in this regard. Further stand of the State Counsel is that without availing the remedy of appeal before the Commissioner, the petitioner has directly rushed to this Court.

Having regard to the said submission, this Court would grant liberty to the petitioner to avail the remedy of appeal before the Commissioner within four weeks.

The petitioner as well as private respondent No 7 would appear before the Appellate Authority on or before 30th of September, 2019 so as to facilitate adjudication of dispute by respondent No 8, on merits.

Matter stands disposed of in the aforesaid terms."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि जिला गोपालगंज अन्तर्गत प्रंखण्ड–उचकागॉव, आँगनबाड़ी केन्द्र बैरीया दुर्ग, केन्द्र सं0–59 पर सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। जिसमें अपीलकर्त्ता अंजू देवी, पति श्री वशिष्ट प्रसाद एवं विपक्षी बबीता देवी, पति–श्री शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा समेत अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया गया जिसमें अपीलकर्त्ता अंजू देवी, पति–श्री वशिष्ट प्रसाद का नाम क्र0सं0–02 पर तथा विपक्षी बबीता देवी, पति–श्री शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा का नाम क्र0सं0–04 पर अंकित रहा है। इस क्रम में दिनांक 19.12.2008 को आयोजित आम सभा में विपक्षी बबीता देवी, पति–श्री शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा का चयन प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु किया गया।

उक्त चयन के विरूद्ध अपीलकर्त्ता अंजू देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C No. 3197/2009 दायर किया गया जिसमें दिनांक 11.03.2011 को पारित आदेश में जिला

पदाधिकारी, गोपालगंज को मामले की सुनवाई दो माह में पूर्ण करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मामले की सुनवाई कर दिनांक 14.07.2011 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता अंजू देवी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C No. 13626/2011 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.08.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता– अनुपस्थित।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता–उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का लिखित पक्ष है कि प्रश्नगत ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार मेधा सूची के क्रम सं0–02 पर अपीलकर्त्ता रही है, उनका मेधा सूची क्रमांक 57% रहा है, परन्तु फिर भी उनका चयन इस आधार पर नहीं किया गया है कि उनके पति श्री वशिष्ट प्रसाद, पंचायत शिक्षक है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पंचायत शिक्षक, सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते है। इस संबंध में कई बार वरीय अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने पारित आदेश में मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7/वि0–1–297/08 मा0 33514, पटना दिनांक 09.09.08 पर विचार नहीं किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक सरकारी सेवक नहीं है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश दिनांक 14.07.2011 जो ज्ञापांक 575, दिनांक 19.07.2011 द्वारा संसूचित है को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विपक्षी बबीता देवी, पति शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका पद पर चयन हेतु तैयार मेधा सूची में वे क्र0सं0–04 पर रही है। क्र0सं0–01 एवं 02 रही उम्मीदवार के पति के पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने तथा क्र0सं0–03 पर रही उम्मीदवार के स्वयं वार्ड सदस्य रहने के कारण क्र0सं0–04 के सुयोग्य उम्मीदवार के रूप में उनका चयन आम सभा के माध्यम से किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि निदेशक (I.C.D.S), बिहार, पटना के पत्र सं0 550, दिनांक 04.02.2009 एवं ज्ञाप सं0 1068, दिनांक

14.05.2007 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचायत शिक्षक, सरकारी सेवा का पद है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का चयन सेविका पद हेतु नहीं किया गया है।

उक्त के आधार विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा सभी तथ्यों पर विचार कर आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जाय।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-59, बैरिया दुर्ग, प्रखण्ड-उचकागॉव, जिला-गोपालगंज अन्तर्गत सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया, जिसके आलोक में अपीलकर्त्ता श्रीमती अंजू देवी, पति-वशिष्ट प्रसाद, विपक्षी श्रीमती बबीता देवी, पति-श्री शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार मेधा सूची के क्र0सं0-01 पर श्रीमती पूनम देवी, पति-श्री विनेश्वर नाथ प्रसाद, क्र0सं0-02 पर श्रीमती अंजू देवी, पति-श्री वशिष्ट प्रसाद, क्र0सं0-03 पर श्रीमती सविता देवी, पति-श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं क्र0सं0-04 पर श्रीमती बबीता देवी, पति-श्री शैलेन्द्र प्रसाद कुशवाहा रहे है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि क्र0सं0-01 एवं 02 के अभ्यर्थी के पति पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने के कारण उनका चयन नहीं किया गया है। क्र0सं0-03 के अभ्यर्थी के वार्ड सदस्य के रूप में कार्यरत रहने के कारण सेविका पद हेतु वे अयोग्य रही है। ऐसी स्थिति में क्र0सं0-04 पर रही विपक्षी श्रीमती बबीता देवी का चयन सेविका पद पर किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि दिनांक 03-04 मई 2007, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की आयोजित बैठक की कार्यवाही में पंचायत शिक्षक को 'सरकारी सेवक' माने जाने का निदेश अंकित है। जबकि मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 7/वि0 1-297/08 मा0 33514, दिनांक 09.09.08 द्वारा नव नियोजन पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक के संबंध में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परामर्श में उन्हें सरकारी सेवक नहीं माना गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अपीलकर्त्ता के लिखित पक्ष, अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 7/वि0-1-297/08, मा0 33514, दिनांक 09.09.2008 द्वारा नव नियोजित पंचायत/प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से अवगत कराया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "इस कोटि के कर्मी सरकारी सेवक नहीं है।"

उक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि तत्समय सेविका पद हेतु तैयार किए गए मेघा सूची के क्रम सं0-01 एवं 02 पर अंकित अभ्यर्थी के पति के पंचायत शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक माने जाने के कारण उनके अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया है।

ऐसे में वर्त्तमान स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिनांक 14.07.2011 को पारित आदेश जो उनके ज्ञापांक 575, दिनांक 19.07.2011 द्वारा संसूचित है को Set Aside करते हुए प्रस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को इस निदेश के साथ Remand back किया जाता है कि सभी पक्षो को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए विभागीय मार्ग-दर्शिका के आलोक में एक स्पष्ट और मुखर आदेश, आदेश प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर पारित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।